

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संख्या प्र02 वि01 07/2013

1800

खाद्य, पटना/ दिनांक-12.03.2015

सेवा में,

मह लेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषय :- बिहार राज्य के 14 जिला उपभोक्ता फोरमों यथा भभुआ, औरंगाबाद, भोजपुर, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास, सारण एवं अररिया में मध्यस्थता भवन के निर्माण के लिए 1094.75 वर्ग फीट के अनुमोदित नक्शे एवं तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन, प्राक्कलित राशि रुपये 26.87 लाख के आधार पर कुल- 3,76,18,000/- (तीन करोड़ छिहत्तर लाख अठारह हजार) रू० मात्र का वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. बिहार राज्य के 14 जिला उपभोक्ता फोरमों यथा भभुआ, औरंगाबाद, भोजपुर, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास, सारण एवं अररिया में मध्यस्थता भवन के निर्माण के लिए 1094.75 वर्ग फीट के अनुमोदित नक्शे एवं तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन, प्राक्कलित राशि रुपये 26.87 लाख के आधार पर कुल- 3,76,18,000/- (तीन करोड़ छिहत्तर लाख अठारह हजार) रू० मात्र का वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राशि का व्यय केन्द्रीय योजनागत योजनांतर्गत मुख्यशीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पुंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष 60 अन्य भवन, लघु शीर्ष 051 निर्माण, उप शीर्ष 0420 स्ट्रैन्थनिंग कन्ज्यूमर फोरा फेज-II, विपत्र कोड एस0 4059600510420 मांग सं0 03 में उपबंधित राशि में वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय होगा।

4. इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत नक्शा एवं प्राक्कलित राशि की सीमा तक ही सीमित रहेगा।

5. उपलब्ध राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अभियंता होंगे।

6

स्वीकृत राशि का आवंटन सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल को प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रकाश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01- 07/2013 1800 खाद्य, पटना/ दिनांक- 12.03.2016
प्रतिलिपि - सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अनुमोदित नक्शे एवं तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि की छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01- 07/2013 1800 खाद्य, पटना/ दिनांक- 12.03.2016
प्रतिलिपि - वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01- 07/2013 1800 खाद्य, पटना/ दिनांक- 12.03.2016
प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, भमुआ, औरंगाबाद, भोजपुर, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास, सारण एवं अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01- 07/2013 1800 खाद्य, पटना/ दिनांक- 12.03.2016
प्रतिलिपि - निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, पटना/अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/ कार्यपालक अभियंता, भमुआ, औरंगाबाद, भोजपुर, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास, सारण एवं अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक प्र02 वि01- 07/2013 1800 खाद्य, पटना/ दिनांक- 12.03.2016
प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार के कोषांग/ सचिव कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना/ बजट शाखा - 05, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव